

FORM No. III
फर्द अहकाम (विधवा)

न्यायालय संप्रबन्ध अधिकारी विभागा जिला झालामंड संतो
ना पत्र सं. 255/2025 सामग्री दिनांक : 07.11.2025
प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

संभवान
राजस्थान सरकार अधिसे सहस्रीलदार विभाग
संभार

राजस्थान सरकार अधिसे सहस्रीलदार विभाग, जिला झालामंड संतो

तारीख हुनम	हुनम या कार्रवाही या मय इतिविमलसं जल	मं मं मं मं अहकाम की हुनम की संभार में जारी हुन
06/11/2025	प्रागोण सेवा शिगिर में प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को सुकस करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में अप्रार्थी सहस्रीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की जाकर बाब जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 12/11/2025 को पेश की ही।	
12/11/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पैरोकार सरकार सहस्रीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ रसलमन दरतावेजी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ना तो ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में भूप्रबंध विभाग के सर्वे-रिसर्च के दौरान या फर्द बदर बनाते समय या नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी की जाति में कोई टाईपिंग या लिपीकीय त्रुटी गई हो और ना ही कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया है जिससे जाति "बलाई" एवं जाति "मेहर" दोनों समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होना साबित होता है।</p> <p>अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फेराल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।</p>	



(दिनेश कुमार गीना)
सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
एवं पीठासीन अधिकारी विभागा
पिडागा, जिला झालामंड (संतो)

